

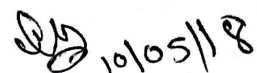
**(उ. प्र.) शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-1980/82 वन अनुभाग-3,
दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित)**

मानक शर्त

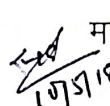
- 1) भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- 2) प्रशानगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- 3) याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को अन्य विभाग, सस्ता अथवा व्यक्ति विशेष जो हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- 4) भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 5) हस्तान्तरित विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किए जाने पर संबन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
- 6) भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में कराये तथा इस संबंध में बनाए गए मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
- 7) हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8) बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं जंतुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किए जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परंतु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं अन्य वन जंतुओं के स्वच्छन्द विचारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- 9) सिचाई विभाग/ जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
- 10) याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतीकार का भुगतान किए वन विभाग को वापर किया जाएगी।
- 11) सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइमेंट" तय होते समय स्थानीय वन विभाग का परामर्श सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार तथा नेशनल हाईवे डिवीजन यू.पी.पी.डबल्यू.डी. द्वारा प्राप्त किया जाएगा – आवश्यकता नहीं है।
- 12) वन भूमि का मूल्य संबन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।
- 13) वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। आदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों को बाज़ार भाव मूल्य देय होगा।
- 14) हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल वृक्षारोपण करा भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस निर्धारित किया जाए, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 निधार एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन कार्य निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
- 15) वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन के जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नैन किया जाएगा या खंभों को ऊँचा कर उसे सुनिश्चित किया जाएगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत है, तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबन्धित वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी। जैस्पर संबन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

- 16) यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की संभावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से करेगा।
- 17) उक्त लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
- 18) वन भूमि का वास्तविक स्थानान्तरण तभी किया जाएगा, जब उक्त शर्तों का पालन कर दिया जाए अथवा उसका उचित स्टार से आश्वासन प्राप्त हो।

मैं एल.पी. गोडसे, महाप्रबंधक ककरी, नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तों मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

 10/05/18

(एल. पी. गोडसे)

 महाप्रबंधक, ककरी परियोजना
10/5/18

L. P. GODSE
General Manager
Kakri Project
N.C.L.